JALAUN POLICE

दिनांक –21.07.2026

कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा हनी ट्रैप के माध्यम से फर्जी अभियोगों में फसाने के एवज में रूपये मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के एक सदस्य व एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.07.2026 को वादी द्वारा कोतवाली उरई में तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 19/20.07.2026 की रात्रि में जायसवाल टावर होटल में एक महिला व उसके साथी द्वारा वादी को बलात्कार का आरोप लगाते हुये 10 लाख रूपये की मांग की गयी। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 424/2026 धारा धारा 308(6) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में दिनांक 21.07.2026 को कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना मे संलिप्त 1. कौसल्या पत्नी स्व. इन्द्रपाल निवासी मवई थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2. गणेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र रामनरायन निवासी चिचारा थाना खन्ना जिला महोबा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभि0गणो द्वारा एक गैंग बनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत वाले व्यक्तियों को बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की जाती है। अभियुक्तगण द्वारा जनपद हमीरपुर, जनपद महोबा, जनपद उरई में पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। पीडितों द्वारा उक्त घटनाओं की शिकायत नही की गयी है। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगम का विवरण-

1. कौसल्या पत्नी स्व. इन्द्रपाल निवासी मवई थाना कुरारा जनपद हमीरपुर
2. गणेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र रामनरायन निवासी चिचारा थाना खन्ना जिला महोबा

अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के थानो व सीमावर्ती जनपदों एवं राज्यों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय टीम।